श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय
बादशाहीथौल (टिहरी गढ़वाल) उत्तराखण्ड़–२४९१९९
Sri Dev Suman Uttarakhand University
Badshahithaul (Tehri Garhwal) Uttarakhand - 249199

पत्रांकः–3281 /आर0ओ0/एसडीएसयूवी/2025 दिनांकः 23 अगस्त, 2025

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढवाल से सम्बद्ध समस्त राजकीय महाविद्यालय/अशासकीय महाविद्यालय/स्ववित्त पोषित निजी शिक्षण संस्थानों को सूचित किया जाता है कि ऐसे अभ्यर्थी जो सत्र 2025 मे राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के तहत सत्र 2022–25 में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम पूर्ण कर चुके हैं तथा उनकी प्रवेश एवं परीक्षा समर्थ पोर्टल में न होकर विश्वविद्यालय पोर्टल के माध्यम से सम्पादित की गयी हैं, ऐसे अभ्यर्थी Four Year Undergraduate Programme (FYUP) के अन्तर्गत स्नातक चतुर्थ वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहते हैं, उन अभ्यर्थियों के प्रवेश एवं परीक्षायें सप्तम सेमेस्टर में विश्वविद्यालय पोर्टल से सम्पादित किये जायेंगे।

(दिनेश चन्द्रा),
कुलसचिव।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निजी सचिव कुलपति को, मा0 कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. परीक्षा नियन्त्रक।
3. प्राचार्य/निदेशक, समस्त राजकीय/अशासकीय महाविद्यालय/स्ववित्त पोषित निजी शिक्षण संस्थान सम्बद्ध श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय।
4. कार्यालय प्रति।

(दिनेश चन्द्रा),
कुलसचिव।

श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढवाल

पत्रांक संख्या–SDSUV-R.O/2025/ 2929 दिनांक– 11 अगस्त, 2025

अधिसूचना

श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढवाल की शैक्षिक परिषद की 16वीं बैठक दिनांक 19.07.2025 में सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय के अनुपालन में सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढवाल के परिसरों एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में इच्छुक अभ्यर्थियों हेतु Four Year Undergraduate Programme (FYUP) में प्रवेश निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ अनुमन्य किये जाते हैं–

1. अभ्यर्थी द्वारा एन०ई०पी के अन्तर्गत त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम न्यूनतम 7.5 या उससे अधिक Cumulative grade point average (CGPA) से उत्तीर्ण की हो।
2. सम्बन्धित परिसर/महाविद्यालय को ऐसे विद्यार्थियों एवं पाठ्यक्रमों की सम्पूर्ण सूचना विश्वविद्यालय को विधिवत निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
3. अभ्यर्थी द्वारा एन०ई०पी के अन्तर्गत त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में न्यूनतम 132 केडिट्स अर्जित किये गये हों।
4. सम्बन्धित प्रवेश हेतु उत्तराखण्ड शासन की आरक्षण नीति का पूर्ण रूप से पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
5. ऐसे अभ्यर्थी जो FYUP के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर चतुर्थ वर्ष में प्रवेश हेतु उपरोक्तानुसार अर्हता धारित करते हों तथा प्रवेश हेतु इच्छुक हैं, उन्हें सम्बन्धित परिसर/महाविद्यालय में विधिवत् निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत आवेदन करना होगा।
6. FYUP के चतुर्थ वर्ष में प्रवेश निर्धारित सीटों पर पूर्णतः वरियता (मैरिट) के आधार पर अनुमन्य किये जायेंगे।
7. FYUP के अन्तर्गत प्रवेश हेतु अर्हता एवं प्रवेश प्रकिया का निर्धारण एवं उनमें संशोधन यदि आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय की वैधानिक समिति द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के परिसरों एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों/संस्थानों से अपेक्षा की जाती है कि उक्त अधिसूचना में वर्णित प्राविधानों को विद्यार्थियों के मध्य व्यापक रूप से प्रचारित एवं प्रसारित करने का कष्ट करेंगे।

(दिनेश चन्द्रा),
कुलसचिव।

।।। कार्यालय श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल टिहरी गढवाल।।।

संख्या– SDSUV-R.O/2025/2929 दिनांक– 11 अगस्त, 2025

प्रतिलिपि निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, कुलपति को, मा0 कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त संकायाध्यक्ष, पं0ल0मो0शर्मा परिसर, ऋषिकेश।
3. समस्त प्राचार्य/निदेशक सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान, श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय।

–ह0–
(दिनेश चन्द्रा),
कुलसचिव।